शिक्षा का अधिकार

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

कमांक / राशिके / स्था0 / 2022 / 5055 भोपाल,दिनांक 30/8/22

प्रति,

कलेक्टर
समस्त जिले
मध्यप्रदेश।

विषयः—विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयकों के पदों पर प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भः—1. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र. / राशिके / स्था / 2022 / 4284, दिनांक 19.07.2022।
2. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र. / राशिके / स्था / 2022 / 4408, दिनांक 25.07.2022।
3. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र. / राशिके / स्था / 2022 / 4613, दिनांक 03.08.2022।

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिलों में विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयक (अकादमिक / कम्यू.मोबिलाईजेशन / एईआर / बालिका शिक्षा) के पदों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति के माध्यम से किए जाने के संबंध में संदर्भित पत्रों के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी अनुक्रम में कुछ जिलों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया है, जो निम्नानुसार हैः—

क्र.	मार्गदर्शन के बिन्दु	विभाग का अभिमत
01	सहायक परियोजना समन्वयक / बीआरसीसी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में कुछ लोकसवक ऐसे भी पात्र पाए गए हैं जो वर्तमान में नियमित रूप से अध्ययनरत होकर एम.एड. प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें प्रतिनियुक्ति पर लेने विषयक।	ऐसे लोकसेवक प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।
02	प्रदेश में पूर्व से कार्यरत संविदा बीआरसीसी (वर्तमान बीएसी) कुछ जिलों में सहायक परियोजना समन्वयक के रिक्त पद पर कार्य कर रहे हैं। उक्त संबंध में अनुरोध है कि वर्तमान में जिलों में बीआरसीसी एवं एपीसी के पदों पर प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही में सर्वप्रथम रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति की जावे। इसके पश्चात उन स्थानों पर प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही की जावे जहां पर प्रतिनियुक्ति पर पूर्व से कार्यरत कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो चुकी है।	उक्तानुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
03	राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी निर्देश में विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक / सहायक परियोजना समन्वयक के पद पर अभर्थियों की प्रतिनियुक्ति उनके गृह ब्लॉक में नहीं किए जाने का उल्लेख है। अभ्यर्थियों के गृह ब्लॉक का निर्धारण उनके वर्समान पदस्थी संस्था के विकासख्ण्ड अनुसार किया जाए अथवा उनकी सेवा पुस्तिका में लिखित स्थाई पते के विकासखण्ड अनुसार किया जाए।	सहायक परियोजना समन्वयक का पद जिला स्तरीय पद है। अतः इसके लिए गृह ब्लॉक की बाध्यता नहीं होगी। बीआरसीसी के पद पर संबंधित लोक सेवक के सेवापुस्तिका में दर्ज गृह ब्लॉक में प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकती।

सहायक परियोजना समन्वयक एवं बीआरसीसी पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु जारी निर्देशों से क्षुब्ध होकर विभिन्न जिलों में कई न्यायालयीन प्रकरण उद्भूत हुए हैं। अतः वर्तमान मे प्रतिनियुक्ति के संबंध में जारी

आदेशों में जिले में उक्त विषयक प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों का उल्लेख करते हुए यह अंकित किया जाना आवश्यक होगा कि उक्त प्रतिनियुक्ति आदेश मान. न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का पालन करते हुए समय–सीमा में पदपूर्ति की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

30/8/2022

(धनराजू एस.)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल,दिनांक 30-8-2022

पृ.कमांक / राशिके / स्था0 / 2022 / 5056
प्रतिलिपिः–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
3. जिला परियोजना सन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।

30/8/2022

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र